

BHSOB

# Greater Noida Industrial Development Authority

**Invites Applications for  
independent, expandable and finished  
Built-up Houses in following plot sizes in Sectors:  
Omicron- 1A & Xu-I**

Sr. No.	Plot Size (in Sqm.)	Built up Area (in Sqm.)
1.	90 Sqm.	74.26 sqm
2.	120 Sqm.	102.91 sqm
3.	200 Sqm.	157.80 sqm
4.	250 Sqm.	170.85 sqm

## IMPORTANT DATES

**Scheme opens on: 21.08.2007**

**Scheme closes on: 20.09.2007**

**Date of draw : 21.11.2007**

2350 437  
Kumar



## Greater Noida Industrial Development Authority

- **Terms & Conditions for Allotment of Built up Houses Under Built up Housing Scheme in Sector Omicron- 1A & Xu-I**

Greater Noida Industrial Development Authority invites applications for allotment of Built up Houses in Plot size of:

• 90 Sqm. having Built up area of	74.26 sqm.
• 120 Sqm. having Built up area of	102.91 sqm.
• 200 Sqm. having Built up area of	157.80 sqm.
• 250 Sqm. having Built up area of	170.85 sqm.

in residential sectors along with all infrastructural services within green, pollution free environments, easy connectivity with 8-lane, 130 mtr. wide expressway of Greater Noida.

- The houses are likely to be ready for possession within 3 years from the date of allotment.

### A. Scheme Details:-

A-1 Scheme Name:- Built up Houses Scheme  
Scheme Code:- BHS-08

### A-2 Details of Built up Houses:

Sl. No.	House Code	Size of the plot/ Constructed Built-up Area (in Sqm.) (approx)	Total No. of Houses (approx)	Tentative cost of the houses (Rs. in Lakh)	Registration Money (Rs. in Lakh)
1.	01	90/74.26	264	18.46	2.00
2.	02	120/102.91	521	25.00	2.75
3.	03	200/157.80	733	40.33	4.25
4.	04	250/170.85	147	46.21	5.00

### Notes:

- Number of houses can be increased/decreased at the discretion of the Chief Executive Officer, GNIDA.
- The final cost of houses will be arrived at after the completion of construction.

A-3 **MODE OF ALLOTMENT**

The draw for the allotments of Built up Houses in the scheme will be held on **21.11.2007 at 11 a.m.** If there is any change due to unforeseen circumstances, all applicants shall be informed through public notice in newspapers only. The draw of Built up Houses shall be first done for the allottees opting cash down scheme (A-5.1) and draw of remaining houses, if any, shall be done for installment plan (A-5.2).

A-4 **FINAL COST OF HOUSE**

The premium/cost of house as indicated in the brochure is tentative. The final cost of a unit will be derived after complete construction of the unit and may vary as per the actual dimensions of the house and cost of acquisition, development and construction which shall be acceptable to the allottee. However, if the actual cost comes out more than 20% of the tentative cost, the allottee will have the right to take the refund of his/her entire deposit without any interest and surrender the allotment. It is proposed to provide electronic security service for the houses. Charges and terms and conditions for such service shall be intimated at the time of execution of lease deed. The connection charges of all services shall be payable separately at the time of execution of lease deed.

A-5 **PAYMENT PLAN**

A-5.1 **CASH DOWN (PAYMENT CODE A-5.1)**

In this plan, after adjusting registration money already paid, balance amount shall be payable within 90 days from the date of allotment.

A-5.2 **TWO YEAR INTEREST FREE INSTALLMENT PLAN (PAYMENT CODE A-5.2)**

In this plan, allotment money equal to 20% of the total premium of the house shall be payable within 45 days from the date of allotment. Balance amount (after adjusting registration money and allotment money already paid) shall be payable in 8 equal interest free quarterly installments and first quarter will start from the 46th day from the date of allotment.

- For the purpose of this document the date of issue of allotment letter shall be reckoned as the date of allotment.
- For the purpose of this document the date of execution of lease deed shall be reckoned as the date of taking over possession.
- The lessee shall be allowed to change the payment plan opted by him/her in the application form at the time of application as that he/she can change the payment plan from installment mode of payment to cash down mode of payment but he/she would not be allowed to change the payment plan from cash down mode of payment to installment mode of payment under any circumstances.

A-6 **MODE OF PAYMENT**

All payments to the Authority can be made by Demand Draft/Pay Order, drawn in favour of **Greater Noida Industrial Development Authority payable at Greater Noida/Noida**. The payment shall also be accepted directly at the Bank Branches authorized in allotment letter.

Normally no extension in due dates of payment of installment shall be allowed. If the amount payable to the Authority is not paid within the prescribed time limit, extension of time for such defaults under very exceptional circumstances may be allowed up to maximum of 3 months subject to the condition that such extensions shall not be more than three times in the entire payment plan. In the event of extension, interest @ 13% per annum compoundable quarterly shall be payable on the defaulted amount for the defaulted period.

The payment made by allottee/lessee shall first be adjusted towards the interest due, if any, and thereafter the balance shall be adjusted towards the installment due and the lease rent payable.

**A-7 AREA**

The area of plot of Built up House allotted may slightly vary at the time of handing over the possession. The premium of the house will vary due to such variation, if such variation is within 10% limits, no right to surrender shall be allowed. However, if such variation is more than 10%, the allottee shall have the option of surrendering the allotment and take back entire amount deposited by him/her without any interest.

Additional construction on first and second floor shall be permissible in accordance with Building Regulations and Directions of the Authority.

**A-8 LOCATION CHARGES**

- (a) **For Corner Houses:**  
5% of the premium
- (b) **For Houses facing park/green belt:**  
5% of the premium
- (c) **For Houses facing 18/24 meter wide road:**  
5% of the premium

**NOTE:** For houses having more than one locational benefit, location charges will be added, but in any case it shall not be more than 15% of the premium of the house.

**SECTION-II**

**B-1 ELIGIBILITY**

- The applicant should be an Indian and competent to contract. He/She should not own any residential plot or house, in full or in part, on lease hold basis or under HPTA (Hire Purchase Tenancy Agreement) License agreement in Greater Noida Industrial Development Area either in his/her wife/husband's name or in the name of his/her minor or dependent children.
- One applicant can apply for one house only.
- Only one house will be allotted to an applicant in his/her wife/husband's name or any dependent member of the family. In case more than one allotment is made, it shall be the responsibility of the applicant to bring it to the notice of the Authority within a month from the date of issue of the allotment letter and get it cancelled; otherwise, the Authority shall take action as per clause G.

B-2 **REGISTRATION**

Applicants as per their eligibility should apply in the application form attached herewith along with registration amount in the form of demand draft/pay order drawn in favour of Greater Noida Industrial Development Authority payable at Greater Noida/Noida and can be submitted at following bank branches:

<b>Sr. No</b>	<b>Bank Code</b>	<b>Bank Name</b>
1	01	Oriental Bank of Commerce, Sector-20, <b>Noida</b>
2	02	Oriental Bank of Commerce, The Mall, <b>Kanpur</b>
3	03	State Bank of India, Legerstroemia Shopping Complex, K.P.-I, <b>Greater Noida</b>
4	04	State Bank of India, Apra Plaza-II, Sector-10, <b>Dwarka, Delhi</b>
5	05	State Bank of Bikaner & Jaipur, Sector-18, <b>Noida</b>
6	06	State Bank of Bikaner & Jaipur, Daurlabh Niwas, Prithvi Raj Road, <b>Jaipur</b>
7	07	Union Bank of India, C-56A/28, Sector-62, <b>Noida</b>
8	08	Vijaya Bank, Sector-19, <b>Noida</b>
9	09	Vijaya Bank, Navyug Market, <b>Ghaziabad</b>
10	10	HDFC Bank, Alpha Commercial Belt, <b>Greater Noida</b>
11	11	HDFC Bank, 38, Darbari Lal Sharma Marg, Near Vidhan Sabha, <b>Lucknow</b>
12	12	Bank of Baroda, Sector Gamma II, <b>Greater Noida</b>
13	13	Bank of Baroda, MG Road, <b>Agra</b>
14	14	Bank of Maharashtra, Alpha Commercial Belt, <b>Greater Noida</b>
15	15	Bank of Maharashtra, Bubana Bhawan, Nichi Bagh, <b>Varanasi</b>
16	16	Canara Bank, Gamma Shopping Mall, <b>Greater Noida</b>
17	17	Canara Bank, 85A, Civil Lines, <b>Bareilly</b>
18	18	Indian Bank, S-7, Gamma Shopping Mall, <b>Greater Noida</b>
19	19	Indian Bank, G-41, Connaught Place, <b>New Delhi</b>

The acknowledgement of the receipt of application form shall be given from the respective Bank duly signed by the Branch Manager. The registration amount should be in the form of a Bank draft/Pay order drawn in favour of Greater Noida Industrial Development Authority payable at Noida/Greater Noida.



**C HOW TO APPLY**

The cost of the brochure is Rs. 1100/- (including 10% T. Tax). The brochure containing application form can be obtained from the Bank Branches enumerated in para B-2 above after payment of cost of brochure to the bank concerned. The Brochure along with application form can also be downloaded from the website [www.greaternoida.com](http://www.greaternoida.com) In this case please submit a separate demand draft of Rs. 1100/ (including Trade Tax) in favour of Greater Noida Industrial Development Authority, payable at Greater Noida/Noida towards the cost of Brochure.

**SECTION-III**

**D AS IS WHERE IS BASIS**

The house will be accepted by the purchaser on "As is where is basis" on a lease of 90 years from the due date of execution of lease deed.

**E SURRENDER**

**E-1** In case of surrender before allotment, the entire Registration Money deposited shall be refunded without interest.

**E-2** In case of surrender after allotment but within 90 days (for application Payment Plan code A-5.1) and within 45 days from the date of allotment (under payment plan A-5.2), 10% of the **Registration Money** shall be forfeited and balance amount shall be refunded without any interest.

**E-3** In case of surrender after 90 days but before six months from the date of allotment in case of payment plan code A-5.1 and after 45 days but before six months from the date of allotment in case of payment plan code A-5.2, 5% of the **total premium** of the house shall be forfeited and balance amount shall be refunded without any interest. No separate notice shall be given for the same. **After six months, surrender shall not be allowed and all deposited money shall be forfeited.**

**E-4** In case the allottee fails to deposit the due amount within the stipulated time, allotment will be liable for cancellation and in case of such cancellation, the money so deposited till the date of cancellation will be forfeited.

**F** The date of surrender in the above cases shall be the date on which application is received at the Authority's office. No subsequent claim on the basis of postal certificate will be entertained.

**G CANCELLATION**

In addition to the other specific clauses relating to cancellation, the Authority/Lessor as the case may be shall be free to exercise its rights of cancellation of lease/allotment in the case of:

1. Allotment being obtained through misrepresentations/suppression of material facts.
2. Any violation of directions issued, or rules or regulations framed by the Authority, Pollution control Board or by any other statutory body.

3. Default on the part of the applicant/allottee/lessee and breach/violation of terms and conditions of registration/allotment/lease and/or non deposit of allotment amount.

In the event of cancellation, under sub-clauses mentioned above, (1,2,3) the entire deposits till the date of cancellation shall be forfeited and possession of the house will be resumed by the Authority/lessor with structure thereon, and the allottee/lessee will have no right to claim compensation thereof.

#### SECTION-IV

##### H PERIOD OF LEASE AND LEASE RENT

The allotment of built up house will be given to the allottee on a lease of 90 years and lease rent shall be payable in one lump sum at the rate of 10% of the total cost of the house before possession.

##### ~~I~~ EXECUTION OF LEASE DEED AND POSSESSION

The allottee will be required to enter into legal documentation and take possession of the house when it is fully constructed. However, the Authority will inform the allottees to do so within 3 years from the date of allotment. The date of lease deed will be informed by Authority at appropriate time. In the event of failure to do so, allottee shall be liable to pay administrative charges at the rate of 1% of the total premium for the extension of one year from the due date given for the execution of legal documents. If the allottee fails, to execute legal documents within the extended time, action shall be taken for cancellation of allotment and forfeiture of deposited money.

##### J DOCUMENTATION CHARGES

The cost and expenses of preparation, stamping and registering the legal documents and its copies and all other incidental expenses will be borne by the allottee who will also pay the stamp duty of transfer of immovable property levied or any other duty or charge that may be levied by any Authority empowered in this behalf.

##### K MORTGAGE

The allottee/lessee may, with the previous consent of the lessor, mortgage the house, after execution of lease deed, to any recognized financial institution/Bank for raising loan for the purpose of funding the installments etc. and subject to such terms and conditions as may be decided by the lessor at the time of granting the permission.

Provided that in the event of sale or fore closure of the mortgage or charged property the lessor shall be entitled to claim and recover such percentage, as decided by the lessor, of the unearned increase in the value of said house as first charge. The decision of the lessor in respect of the market value of the said land/house shall be final and binding on all the parties concerned.

Provided further that lessor shall have pre-emptive right to purchase the mortgage or charged property after deducting such percentage as decided by the lessor on the unearned increase as aforesaid.

The lessor's right to the recovery of the unearned increase and the pre-emptive right to purchase the property as mentioned herein before shall apply equally in voluntary sale or transfer, be it by or through execution of decree of insolvency/court.

#### SECTION-V

#### L TRANSFER OF HOUSE

##### L-1 TO LEGAL HEIR

The transfer of houses to his/her legal heir will be allowed with prior permission of the Chief Executive/or any Officer authorized by CEO in this regard, subject to the fulfillment or prescribed conditions.

##### L-2 TO OTHER THAN LEGAL HEIRS

The transfer of house to other than legal heirs will be allowed on request with prior permission of the Chief Executive Officer or any other authorized officer. Such transfer of house may be considered on payment of prescribed transfer charges and fulfillment of the legal conditions as decided by the Chief Executive Officer, who shall have the power to reject or accept such request.

#### M MISUSE, ADDITIONS, ALTERATIONS ETC.

The allottee/lessee shall not use the house for any purpose other than residential. The lessee/allottee shall not be entitled to divide the house or amalgamate it with any other house without the prior written permission of Chief Executive Officer or any officer of Authority, authorized by CEO. In case of violation of the above conditions, allotment shall be liable to be cancelled and possession of the premise along with structures thereon, if any shall be resumed by the Authority.

#### N LIABILITY TO PAY TAXES

The allottee/lessee will be liable to pay all rates, taxes, charges and assessment of every description imposed by any authority empowered in this behalf, in respect of the house, whether such charges are imposed on the house or on the building constructed thereon, from time to time.

#### O OVERRIDING POWER OVER DORMANT PROPERTIES

The lessor reserves the right to all mines, minerals, coals, washing gold', earth oils, quarries in or under the house and full right and power at any time to do all acts and things which may be necessary or expedient for the purpose of searching for, working and obtaining, removing and enjoying the same without providing or leaving any vertical support for the surface of the house(s)/house or for the structure time being standing thereon provided always, that the lessor shall make reasonable compensation to the allottee/lessee for all damages directly occasioned by exercise of the rights hereby reserved. The decision of the CEO on the amount of such compensation will be final and binding on the applicant.



## MAINTENANCE

- P-1 The allottee at his own expense will take permission for sewerage, electricity, and water connections from the concerned departments of the Authority or from the competent authority in this regard.
- P-2 The allottee will keep the allotted house and the available facilities as well as the surroundings neat and clean and in good condition. If the allotted house is situated in a premises where other houses are also constructed, then the allottee along with allottees of other houses will plan a maintenance programme whereby the entire premises shall be kept neat and clean and well maintained.
- P-3 The allottee will carry out all directions of Authority in respect of the maintenance of building, plot and surrounding areas as well as with regards to the provisions of the Urban Services.
- P-4 In case of non-compliance of these terms & conditions, and any directions of the Authority, the Authority shall have the right to impose such penalty as the CEO may consider just and/or expedient.
- P-5 If the maintenance work of any area is not found satisfactory according to the Authority, then the required maintenance work will be carried out by the Authority and the expenses incurred in carrying out such works will be born by the allottees, collectively or in parts. The decision of the Authority will be final as regards to the expenses incurred in the maintenance work.
- P-6 That the lessee shall abide by all Regulations, Bye-laws, Directions and guidelines of the Authority framed/issued under section 8, 9 and 10 or under any other provision of the U.P. Industrial Area Development Act 1976 and rules made therein.
- P-7 That the lessee shall not display or exhibit any posters, statues, other articles which are repugnant to the morals or are indecent or immoral.

## SECTION-VI

### Q. OTHER CLAUSES

- Q-1 The Authority reserves the full right for any alteration in design as well as specifications under special circumstances.
- Q-2 The Chief Executive Officer or any authorized officer reserves the right to make such additions/alterations or modifications in the terms and conditions of allotment from time to time as he may consider just or/and expedient.
- Q-3 In case of any clarification or interruption regarding these terms and conditions the decision of Chief Executive Officer of the Authority shall be final and binding on the applicants/allottee/lessee.

- Q-4 If due to any "Force Majeure" or such circumstances beyond the Authority's control, the Authority is unable to make allotment or the possession of the allotted house, entire registration money or the deposits, depending on the stage of allotment will be refunded along with simple interest at the rate of 4% per annum if delay in refund is more than one year from such date.
- Q-5 Any dispute between the Authority/lessor and allottee/lessee shall be subject to the territorial jurisdiction or the Civil Courts of Gautam Budh Nagar or the Court's designated by the Hon'ble High Court.
- Q-6 The registration/allotment/lease will be governed by the provision of the U.P. Industrial Area Development Act, 1976 (U.P. Act No. 6 of 1976) and by the rules and/or regulations made or directions issued under this Act.
- Q-7 The allottee, apart from the allotted house, will not demand to utilize any other area (which is not allotted). Wherever, the permission of open space is given, the allottee shall not make any construction whether permanent or temporary.
- Q-8 All arrears due to the lessors are recoverable as arrears of land revenue.

**For further information, contact:  
Sr. Manager  
(Estate Division)  
Ph: 0120-2326150-155**

**NOTE: IN THE CASE OF ANY DISCREPANCY IN HINDI AND ENGLISH VERSION IN THIS BROCHURE, THE ENGLISH VERSION SHALL BE DEEMED AS FINAL AND BINDING.**

## PROPOSED SPECIFICATIONS FOR BUILT UP HOUSES

PLOT AREA 90, 120,200, 250 Sqm.

1. R.C.C. isolated/combined footings in foundation for bearing load upto 3 storey (As per permissible FAR).
2. R.C.C. framed structure designed for earth-quake resistance.
3. Brick work in 1:6 Cement & Coarse Sand mortar.
4. Cement plaster in 1:6 Cement and sand mortar.
5. Sal wood chauhats for doors & windows.
6. Commercial quality flush door shutters.
7. Glazing on window.
8. Marble stone/ Tile flooring in all rooms.
9. Marble stone/Tile flooring in kitchen & toilets.
10. Glazed tiles on wall of toilet and kitchen.
11. Internal finish with oil bound distemper.
12. External finish with weather proof paint and partial vetrified tiles on front elevation.
13. Integral water proofing treatment of roof.
14. Copper wiring for internal electrification.
15. Rain water harvesting system.
16. Boundary wall & gate.

## ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण निम्नलिखित आकार के स्वतन्त्र, विस्तरण योग्य तथा निर्मित भवनों हेतु प्रस्ताव आमंत्रित करता है—

क्र. स.	भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	निर्मित क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
1.	90 Sqm.	74.26 sqm
2.	120 Sqm.	102.91 sqm
3.	200 Sqm.	157.80 sqm
4.	250 Sqm.	170.85 sqm

### महत्वपूर्ण तिथियाँ

योजना आरंभ होने की तिथि: 21.08.2007

योजना समापन की तिथि: 20.09.2007

झा की तिथि: 21.11.2007

## ग्रैटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

- आवासीय योजना के अन्तर्गत सेक्टर ओमिक्रॉन -1A तथा जू-1 में निर्मित भवनों के आवंटन हेतु नियम व शर्तें ग्रैटर नौएडा प्राधिकरण निम्नलिखित आकार के निर्मित भवनों हेतु प्रस्ताव आमंत्रित करता है-

• 90	वर्गमीटर में निर्मित क्षेत्रफल	74.26	वर्गमीटर
• 120	वर्गमीटर में निर्मित क्षेत्रफल	102.91	वर्गमीटर
• 200	वर्गमीटर में निर्मित क्षेत्रफल	157.80	वर्गमीटर
• 250	वर्गमीटर में निर्मित क्षेत्रफल	170.85	वर्गमीटर

आधार भूत सुविधाओं सहित आवासीय सेक्टर में हरियाली, प्रदूषण रहित वातावरण एवं 130 मीटर चौड़ी ग्रैटर नौएडा एक्सप्रेसवे से आसान सम्पर्क।

- भवनों का निर्माण/कब्जा आवंटन तिथि से 3 वर्ष के अन्दर दिया जाना संभावित है।

ए. योजना का विवरण

ए-1 योजना का नाम: विल्ट अप हाउस स्कीम

योजना कोड - बी.एच.एस. 08

ए-2 भवनों का विवरण

क्रम संख्या	भवन कोड	निर्मित विल्टअप क्षेत्रफल/भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मी० में)	कुल भवनों की संख्या (लगभग)	भवन की कुल लागत (रु० लाख में लगभग)	पंजीकरण धनराशि (रु० लाख में)
1	01	90/74.26	264	18.46	2.00
2.	02	120/102.91	521	25.00	2.75
3.	03	200/157.80	733	40.33	4.25
4.	04	250/170.85	147	46.21	5.00

नोट:

- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रैटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये भवनों की संख्या घटायी/बढ़ायी जा सकती है।
- भवनों की अंतिम लागत निर्माण के पूर्ण होने के पश्चात् प्राप्त होगी।

ए-3 भवनों के आवंटन हेतु तिथि

निर्मित भवनों का आवंटन ड्रा के माध्यम से दिनांक 21.11.2007 का पर्वन्ह 11.00 बजे किया जायेगा। यदि अपरिहार्य कारणों से ड्रा की तिथि में परिवर्तन किया जाता है, तो उसकी सूचना जन संधारण को सार्वजनिक सूचना के माध्यम से समाचार पत्रों में दी जायेगी।

सर्वप्रथम एकमुश्त भुगतान विकल्प (ए-5.1) के निर्मित भवनों के आवेदकों हेतु ड्रा का आयोजन किया जायेगा। तत्पश्चात् निर्मित भवनों (यदि शेष हो तो), हेतु किशतों में भुगतान करने वाले विकल्प (ए-5.2) के आवेदकों का ड्रा सम्पन्न किया जायेगा।

ए-4 भवनों की अंतिम लागत

उपरोक्त प्रस्तर में जो मूल्य दर्शाये गये हैं, वे पूर्णतः अनुमानित हैं। भवन का निर्माण पूर्ण होने पर अंतिम मूल्य निकाला जायेगा और वही मूल्य आवंटी को मान्य होगा। उपरोक्त भवन की कुल लागत यदि बढ़ती है तो ऐसी बढ़ी लागत को आवंटी की अनुपातिक रूप में वहन करना होगा। यदि वास्तविक मूल्य, घोषित मूल्य से 20 प्रतिशत से अधिक बढ़ जाता है तो आवंटी को यह अधिकार होगा कि वह भवन को न लें। ऐसी दशा में आवंटी को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन समर्पण कर दे, व जमा सम्पूर्ण धनराशि वापिस ले लें। भवन निर्माण में 20 प्रतिशत तक की मूल्यवृद्धि आवंटी द्वारा देय होगी। इलेक्ट्रानिक सुरक्षा निगरानी हेतु निर्मित भवन के कब्जे के समय प्राधिकरण को भुगतान अलग से देय होगा। निर्मित भवन में सभी तरह की सुविधाओं हेतु कनेक्शन दिये जाने के विरुद्ध किया जाने वाले भुगतान लीज डीड के समय आवंटी द्वारा अलग से किया जायगा।

ए-5 भुगतान योजना

ए-5.1 नकद भुगतान योजना (भुगतान कोड ए-5.1)

पंजीकरण धनराशि समायोजन के पश्चात् शेष धनराशि आवंटन तिथि से 90 दिन के अन्दर आवंटन धनराशि के रूप में देय होगी।

ए-5.2 व्याज रहित दो वर्षीय किशत योजना (भुगतान कोड ए-5.2)

इस योजना में भवन के कुल राशि का 20 प्रतिशत आवंटन तिथि से 45 दिन के अन्दर देय होगी। शेष 70 प्रतिशत धनराशि (पंजीयन राशि और आवंटन राशि के समायोजन के उपरान्त) 8 समान त्रैमासिक व्याज रहित किशतों में देय होगी। किशतों की गणना आवंटन तिथि के 46वें दिन से की जायेगी।

नोट:

1. इस दस्तावेज के लिए आंबटन पत्र जारी करने की तिथि ही आंबटन तिथि मानी जाएगी।
2. इस दस्तावेज के लिए पट्टा प्रलेख निष्पादित कराए जाने वाली तिथि ही कब्जा लिए जाने की तिथि मानी जाएगी।
3. आवंटी को आवेदन पत्र भरते समय उसके द्वारा दिये गये भुगतान योजना विकल्प को परिवर्तित करने का अधिकार होगा। यदि वह किशत योजना से नकद भुगतान योजना में परिवर्तित करना चाहता है तो कर सकता है। परन्तु नकद भुगतान योजना से किशत भुगतान योजना में परिवर्तन करने का अधिकार किसी भी परिस्थिति में नहीं होगा।

#### ए-6 भुगतान विधि

सभी भुगतान प्राधिकरण को या तो नकद अथवा ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे आर्डर, जो नई दिल्ली/नौएडा पर देय हों, के रूप में किए जा सकते हैं। इस कार्य के लिए अधिकृत बैंक शाखा द्वारा भुगतान सीधे स्वीकार किए जाएंगे।

सामान्यतः भुगतान हेतु समय विस्तारण अनुमन्य नहीं होगा। यदि प्राधिकरण को किश्तों में देय राशि का भुगतान, निर्धारित समयवधि में नहीं किया गया है, इस प्रकार विलम्ब अवधि के लिए समय विस्तारण विशेष परिस्थितियों के तहत अधिकतम 3 महीनों के लिए इस शर्त के साथ अनुमन्य होगा कि कुल भुगतान योजना के दौरान ऐसे विस्तारण 3 से अधिक नहीं होंगे। विस्तारण की दशा में 13 प्रतिशत वार्षिक ब्याज जिसका आंकलन तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर किया जाएगा, कि दर बकाया धनराशि पर देय होगा।

आवंटी/पट्टाधारक द्वारा किये गये भुगतान में से यदि कोई ब्याज देय है, तो सर्वप्रथम उसका समायोजन किया जायगा तथा इसके पश्चात् शेष धनराशि का देय किश्तों/लीज रेंट में समायोजन किया जायेगा।

#### ए-7 क्षेत्रफल

आवंटी भवन का क्षेत्रफल कब्जा दिए जाते समय कुछ भिन्न हो सकता है ऐसी दशा में भूखण्ड/भवन का कुल मूल्य उसी अनुपात में परिवर्तित होगा। यदि यह अन्तर 10 प्रतिशत तक है तब भूखण्ड/भवन की स्थिति में परिवर्तन या समर्पण की अनुमति नहीं होगी। यदि यह अन्तर 10 प्रतिशत से अधिक है तो आवंटी को आवंटन समर्पण करने की छूट होगी तथा ऐसी दशा में जमा की गई समस्त धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी।

निर्मित भवन के प्रथम तल एवं द्वितीय तल पर अतिरिक्त अनुमन्य निर्माण प्राधिकरण के निर्देशों/बिल्डिंग बाईलाज के अनुसार ही किया जा सकेगा।

#### ए-8 अवस्थित अधिभार

- क. कोने पर स्थित भूखण्ड  
भूखण्ड के प्रीमियम का 5 प्रतिशत
- ख. पार्क/ग्रीन बैल्ट के सम्मुख स्थित भूखण्ड  
भूखण्ड के प्रीमियम का 5 प्रतिशत
- ग. 18/24 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित भूखण्ड  
भूखण्ड के प्रीमियम का 5 प्रतिशत

#### टिप्पणी:

जिन भूखण्डों में एक से अधिक अवस्थित लाभ हैं उनमें अवस्थित अधिभार जोड़ा जायेगा, लेकिन किसी भी स्थिति में यह भूखण्ड के प्रीमियम के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

#### अनुभाग - 2

#### बी-1 ग्राह्यता

- आवेदक भारतीय नागरिक हो तथा अनुबन्ध के लिए सक्षम हो तथा अपने/अपनी पत्नी/पति के नाम में अथवा अपने (महिला/पुरुष) अव्यस्क आश्रित बच्चों के नाम में पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से कोई भी आवासीय भवन अथवा रिहायशी मकान पट्टाधिकार कर अथवा फ्री होल्ड आधार पर अथवा एच.पी.टी.ए. (हॉयर पर्चेज टीनेंसी एग्रीमेंट) लाइसेंस के तहत ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास क्षेत्र में नहीं होना चाहिए।

- एक आवेदक केवल एक भवन हेतु ही आवेदन कर सकता है।
- परिवार में पति/पत्नी अथवा किसी आश्रित सदस्य के नाम में आवेदक को केवल एक ही भवन आवंटित किया जाएगा।  
यदि आवेदक अथवा परिवार के आश्रित सदस्यों के नाम एक से अधिक आवंटन हो जाता है तो यह आवेदक की जिम्मेदारी होगी कि आवंटन पत्र जारी होने के एक माह के अन्दर प्राधिकरण को सूचित करे और अतिरिक्त आवंटन का निरस्तीकरण कराये अन्यथा प्राधिकरण क्लॉज जी के अनुसार कार्यवाही करने हेतु बाध्य होगा।

#### बी-2 पंजीकरण:

अपनी ग्राह्यता के अनुसार आवेदकों को यहाँ संलग्न आवेदन प्रपत्र पर आवेदन करना चाहिए और अपने आवेदन के साथ ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पक्ष में नौएडा/ग्रेटर नौएडा पर देय डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे आर्डर संलग्न कर निम्नलिखित बैंक की शाखाओं में जमा कराना होगा।

क्र.स.	कोड सं.	बैंक का नाम
1.	01	ओरियेन्टल बैंक आफ कामर्स, सेक्टर-20, नौएडा
2.	02	ओरियेन्टल बैंक आफ कामर्स, द माल, कानपुर
3.	03	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, लेजरस्ट्रोमिया शापिंग कॉम्प्लेक्स, के.पी.-1, ग्रेटर नौएडा
4.	04	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, अप्रा प्लाजा-2, द्वारका, दिल्ली
5.	05	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर, सेक्टर-18, नौएडा
6.	06	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर, दुर्लभ निवास, पृथ्वीराज रोड़, जयपुर
7.	07	यूनियन बैंक आफ इण्डिया, सी-56ए/28, सैक्टर-62, नौएडा
8.	08	विजया बैंक, सेक्टर-19, नौएडा
9.	09	विजया बैंक, नव युग मार्किट, गाजियाबाद
10.	10	एच.डी.एफ.सी. बैंक, अल्फा कॉमर्शियल बेल्ट, ग्रेटर नौएडा
11.	11	एच.डी.एफ.सी. बैंक, 38, दरबारी लाल शर्मा मार्ग, निकट विधान सभा, लखनऊ
12.	12	बैंक आफ बडौदा, सेक्टर-गामा-2, ग्रेटर नौएडा
13.	13	बैंक आफ बडौदा, एम.जी. रोड़, आगरा
14.	14	बैंक आफ महाराष्ट्रा, अल्फा कमर्शियल बेल्ट, ग्रेटर नौएडा
15.	15	बैंक आफ महाराष्ट्रा, बुवाना भवन, नीची बाग, वाराणसी
16.	16	केनरा बैंक, गामा शापिंग माल, ग्रेटर नौएडा
17.	17	केनरा बैंक, 85ए सिविल लाइन, बरेली
18.	18	इण्डियन बैंक, एस-7, गामा शापिंग माल, ग्रेटर नौएडा
19.	19	इण्डियन बैंक, जी-41, कनाट प्लेस, नई दिल्ली



आवेदन पत्र की जमा रसीद सम्बन्धित बैंक के शाखा प्रबन्धक के हस्ताक्षर से आवेदक को पावती के रूप में उपलब्ध करायी जायगी। पंजीयन राशि का भुगतान पे-आर्डर अथवा बैंक ड्राफ्ट के रूप में ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पक्ष में जो कि नौएडा/ग्रेटर नौएडा पर देय होगा के द्वारा किया जायगा।

सी आवेदन कैसे करें-

आवेदन प्रपत्र सहित ब्रोशर, रूपये 1100/- (ट्रेड टैक्स सहित) के नकद भुगतान पर पैरा बी-2 में उल्लिखित बैंक शाखाओं से प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त योजना की नियम/शर्तों का ब्रोशर, आवेदन पत्र सहित ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण की वेबसाइट [www.greaternoida.com](http://www.greaternoida.com) से भी डाउनलोड किया जा सकता है। इन प्रपत्रों में अलग से रू0 1100/- (ट्रेड टैक्स सहित) की अतिरिक्त धनराशि ड्राफ्ट/पे आर्डर जो कि ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पक्ष में हो तथा नौएडा/ग्रेटर नौएडा में देय हो, सेलमन किया जाना अनिवार्य होगा।

### भाग (3)

डी जैसे है जहाँ है के आधार पर

क्रैता द्वारा भवन, जैसे है जहाँ है के आधार पर 90 वर्ष के पट्टे पर जिसकी अवधि पट्टा प्रलेख निष्पादित की निर्धारित तिथि से प्रारम्भ कर, स्वीकार किए जाएंगे।

ई समर्पण

ई-1 आवंटन से पूर्व समर्पण की स्थिति में सम्पूर्ण पंजीयन राशि बिना ब्याज के लौटा दी जाएगी।

ई-2 आवंटन के पश्चात् किशतों पर आधारित योजना (ए-5.2) आवंटन तिथि से 45 दिन के पहले तथा नकद भुगतान योजना (ए-5.1) में आवंटन तिथि से 90 दिन के अन्दर आवंटन समर्पण किया जाता है तो पंजीयन राशि की 10 प्रतिशत राशि की कटौती की जायेगी, शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी। इसके लिए प्राधिकरण द्वारा पृथक से सूचित नहीं किया जायगा।

ई-3 यदि कोई आवंटी नकद भुगतान योजना (ए-5.1) में 90 दिन के बाद तथा किशतों पर आधारित योजना (ए-5.2) में 45 दिन के बाद परन्तु आवंटन के 6 महीने से पहले समर्पण करता है तो भूखण्ड की कीमत का 5 प्रतिशत काट लिया जायेगा। कटौती के पश्चात् शेष राशि बिना ब्याज के वापिस कर दी जायेगी। इसके लिए कोई अलग से सूचना नहीं दी जायेगी। छः माह के उपरान्त समर्पण अनुमन्य नहीं होगा एवं समस्त जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

ई-4 यदि आवंटी निर्धारित समय में देय धनराशि का भुगतान करने में असफल रहता है तो आवंटन निरस्तीकरण की श्रेणी में आ जायेगा और ऐसे निरस्तीकरण के समय/तिथि तक जो भी धनराशि जमा है प्राधिकरण द्वारा जब्त कर ली जायेगी।

एक उपरोक्त मामलों में समर्पण की तिथि वही मानी जाएगी जिस दिन प्राधिकरण के कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्त होगा। डाक प्रमाण पत्र के आधार पर कोई पूर्ववर्ती दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

जी निरस्तीकरण

निरस्तीकरण के अन्य उल्लिखित प्रस्तरों के अतिरिक्त, प्राधिकरण/पट्टादाता अधोलिखित स्थितियों में पट्टा/आबंटन को निरस्त करने हेतु अधिकारों का उपयोग करने में स्वतन्त्र होगा:-

1. गलत विवरण अथवा वस्तुपूरक तथ्यों को छिपाते हुए आबंटन प्राप्त करने पर।
2. प्राधिकरण, प्रदुषण नियन्त्रण बोर्ड अथवा अन्य विधिक निकाय द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तें अथवा उसके द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन करने पर।
3. आवेदक/आबंटी/पट्टाधारक द्वारा पंजीकरण/आबंटन/पट्टे की नियम व शर्तों के तोड़ने/उल्लंघन करने और/अथवा आबंटन राशि जमा न करने पर।  
उपरोक्त के उप प्रस्तर (1, 2, 3) के अन्तर्गत, निरस्तीकरण की दशा में, निरस्तीकरण की तिथि तक जमा समस्त राशि जब्त कर ली जायेगी और भवन प्राधिकरण/पट्टादाता द्वारा कब्जे में ले ली जाएगी, और आबंटी/पट्टाधारक को इसकी प्रतिपूर्ति माँगने का कोई अधिकार नहीं होगा।

अनुभाग (4)

एच पट्टा अवधि एवं पट्टा किराया

भवन का आबंटन प्रत्येक आबंटी को 90 वर्ष के पट्टा अधिकार पर दिया जाएगा और पट्टा किराया कब्जा लेने से पूर्व भवन के कुल मूल्य का 10 प्रतिशत एकमुश्त देय होगा।

आई पट्टा दस्तावेज तथा कब्जे का निष्पादन आबंटी को एक कानूनी दस्तावेज के अन्तर्गत अनुबन्ध करना पड़ेगा। भवन का कब्जा आबंटन तिथि से तीन वर्ष के अन्दर लेना होगा। अधिकतम एक वर्ष का समय 01 प्रतिशत दण्ड शुल्क के साथ दिया जायेगा। तत्पश्चात कोई भी समय विस्तरण अनुमन्य नहीं होगा। उक्त समयावधि में यदि आबंटी कानूनी दस्तावेज के अन्तर्गत अनुबन्ध करने में असफल रहता है तो आबंटन निरस्त कर जमा धनराशि जब्त करने की कार्यवाही आरम्भ कर दी जायेगी।

जे दस्तावेजी प्रभार

कानूनी दस्तावेज तैयार करने, उस पर टिकट लगाने तथा उसे पंजीकृत कराने सम्बन्धी समस्त शुल्क और उसकी प्रतियों बनवाने तथा उससे संबंधित समस्त आकरिमक खर्चों का वहन, आबंटी को ही करना होगा। आबंटी को अचल सम्पत्ति के हस्तांतरण के सम्बन्ध में स्टाम्प ड्यूटी, जो इसके लिए अधिकृत किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा लगाई जाएगी अथवा कोई अन्य शुल्क अथवा प्रभार का भुगतान भी करना होगा।



क गिरवी रखना

आवंटी/पट्टाधारक, प्राधिकरण/पट्टादाता की पूर्व सन्मति लेकर, पट्टा के बाद शासन से मान्यता प्राप्त किसी संस्था से इकाई/भवन/पलैट के वित्तीय पोषण/भुगतान के लिए ऋण आहरण हेतु भवन/पलैट गिरवी रख सकता है और पट्टादाता द्वारा ऐसी अभिस्वीकृति देते समय लगायी गयी नियम व शर्तें आवंटी को मान्य होंगी व उनका अनुपालन करना होगा।

इसे साथ ही रेहन/गिरवी रखी सम्पत्ति के विक्रय अथवा मोचन निषेध होने पर पट्टादाता को अधिकार होगा कि भवन/भूखण्ड की अनर्जित बढी कीमत का वो प्रतिशत जो पट्टादाता द्वारा निर्धारित की जाती है, को प्रथम धारक के रूप में वसूल लें व अन्य रेहन अधिकारों से प्राथमिक अधिकार होगा। भवन/पलैट के बाजार मूल्य निर्धारण में पट्टादाता का निर्णय अन्तिम होगा व सभी संबंधित पक्ष को बाध्य होगा।

इसके साथ ही पट्टादाता को रेहन/गिरवी रखी सम्पत्ति से पूर्व वर्णित अनर्जित बढोत्तरी को उस प्रतिशत को कम कर पूर्वक्रय का अधिकार होगा। पट्टादाता यहां वर्णित अनर्जित बढोत्तरी व सम्पत्ति के पूर्वक्रय का अधिकार अनच्छित विक्रय एवं हस्तान्तरण के समय भी बराबर से मान्य होंगे चाहे न्यायायालय/दिवालियेपन की आज्ञाप्ति के अनुपालन के साथ अथवा द्वारा हो।

अनुभाग - (5)

एल भवन का हस्तांतरण

एल-1 कानुनी उत्तराधिकारी

अपने (महिला/पुरुष) कानुनी उत्तराधिकारी को भवन के हस्तान्तरण की अनुमती मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा निर्धारित शर्तों के पूर्ण होने पर दी जायेगी।

एल-2 कानुनी उत्तराधिकारी के अतिरिक्त

कानुनी उत्तराधिकारी के अतिरिक्त किसी अन्य को भवन के हस्तान्तण की अनुमति मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा दी जा सकेगी। भवन के इस प्रकार के हस्तान्तण के लिए आवंटी को निर्धारित हस्तान्तण शुल्क देना होगा तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निर्धारित सभी कानुनी शर्तों को पूरा करना होगा। इस संबंध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी को ऐसी अभ्यर्थना स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का पूरा अधिकार होगा।

दुरुपयोग, अतिरिक्त विद्युत, परिवहन इत्यादि।

भवन का प्रयोग रिहायश के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा। आवंटी को परिसर उपविभाजित करने अथवा किसी अन्य परिसर के साथ मिलाने अथवा उस पर कोई अतिरिक्त ढांचा खड़ा करने अथवा उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा पूर्व लिखित अनुमति के बिना नहीं होगा। उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा और परिसर का कब्जा प्राधिकरण द्वारा वापस ले लिया जाएगा।

**एन** करों के भुगतान का दायित्व

आवंटी/पट्टाधिकारी को भवन के आवंटन के संबंध में इस आशय के लिए प्राधिकृत किसी भी अधिकारी द्वारा लगाये गये प्रत्येक विवरण का कर निर्धारण, करों तथा प्रभारों की सभी दरों का भुगतान स्वयं कराना होगा भले ही वे प्रभार भवन अथवा उस पर निर्मित किसी भवन के संबंध में लगाये गये हों।

**ओ** भूगर्भ सम्पत्तियों के नियमन हेतु

प्राधिकरण का आवंटित आवासीय भवन के अन्तर्गत और उसके बाहर सभी खानों, कोयला, खनिजों, प्रक्षोलन, स्वर्ण, मिट्टी का तेल, खदानों पर अधिकार होगा और इस संबंध में उस समय कोई भी कार्य करने का पूर्ण अधिकार एवं स्वामित्व उनके पास सुरक्षित है और ऐसा कोई ठोस काम करने का भी उन्हें अधिकार होगा जो इस कार्य हेतु किसी चीज का तलाश करने, उसे प्राप्त करने, और वहां से हटाने के लिए वे आवश्यक समझेंगे। आवासीय भवन/भवन के तल पर किसी वर्टिकल सपोर्ट अथवा उस पर कुछ समय के लिए निर्मित किसी भी भवन के संबंध में उक्त कार्यवाही करने का उन्हें पूर्ण अधिकार होगा। किन्तु इसके लिए प्राधिकरण इस आशय के अधिकारों का प्रयोग करते समय उससे उत्पन्न सभी प्रकार की क्षतियों का भुगतान प्रत्यक्ष रूप से आवंटी/पट्टाधिकारी को करेगा। समुचित क्षतिपूर्ति की राशि निर्धारित करने के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी का निर्णय अन्तिम माना जायेगा और यह निर्णय आवंटी/पट्टाधिकारी को भी मान्य होगा।

**पी** अनुरक्षण

**पी-1** आवंटी पानी, सीवर व विद्युत कनेक्शन अपने व्यय पर संबंधित विभाग/कार्यालय से प्राप्त करेगा।

**पी-2** आवंटी आवंटित भवन तथा उसके परिवेश एवं सभी सुविधाओं को साफ-सुथरा तथा अच्छी स्थिति में रखेगा। यदि आवंटित भवन ऐसी जगह पर स्थित है जहां पर दूसरे भवन भी निर्मित हैं तो आवंटी दूसरे भवनों के अवंटियों के साथ अनुरक्षण की योजना बनायेंगे जिससे की सम्पूर्ण परिसर साफ-सुथरा एवं अच्छी तरह अनुरक्षित होंगे।

**पी-3** आवंटी को भवन, भवन तथा सन्निकट क्षेत्र के अनुरक्षण के संबंध में जारी प्राधिकरण के निर्देशों एवं साथ-साथ इस संबंध में नगरीय सेवाओं के प्राविधानों का अनुपालन करना होगा।

**पी-4** प्राधिकरण की नियम व शर्तों के अनुपालन न होने पर प्राधिकरण को अधिकार होगा कि वह जैसा मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा न्यायसंगत तथा उचित समझा जाय वैसा दण्ड लगा सके।



- पी-5 यदि प्राधिकरण के अनुसार किसी क्षेत्र की व्यय के अनुरक्षण नहीं है तो प्राधिकरण उचित अनुरक्षण करवाकर जो भी व्यय होगा, आवंटनी से संबंधित रूप में तथा अपना पूर्णक/पुस्तक रूप में बरतून करेगा। अनुरक्षण तथा/अथवा ठीक करने पर व्यय के संबंध में प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा।
- पी-6 आवंटनी/पट्टा धारक/उप पट्टाधरक प्राधिकरण के एस निर्देशों, उपनियमों, भवन विनियमावली नियमों एवं दिशा निर्देशों जो कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम सन 1976 के अनुच्छेद 8, 9 तथा 10 एवं अन्य प्राविधानों के अन्तर्गत जारी किए गए हों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
- पी-7 पट्टाधारक: ऐसे पोस्टरों, संविधि व अन्य वस्तु का प्रदर्शन अथवा प्रदर्शित नहीं करेगा जो नैतिकता के प्रतिकूल अथवा अनैतिक एवं अशिष्ट हो।

## अनुभाग 6


### क्यू अन्य अनुच्छेद

- क्यू-1 विशेष परिस्थितियों में डिजाइन एवं स्पेशिफिकेशन के संशोधन का तथा परिवर्तन का पूर्ण अधिकार प्राधिकरण का होगा।
- क्यू-2 मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा अन्य प्राधिकृत अधिकारी को पूर्ण अधिकार होगा कि उसके द्वारा न्यायसंगत तथा उचित समझे जाने पर समय-समय पर आवंटन की शर्तों में कोई परिवर्तन या संशोधन का निर्णय ले सके।
- क्यू-3 इन नियम व शर्तों के संबंध में किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण अथवा उसकी व्याख्या करने के संबंध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा और आवेदकों के लिए बाध्य होगा।
- क्यू-4 किसी दैवीय आपदा अथवा प्राधिकरण के नियंत्रण के बाहर किसी भी परिस्थिति के फलस्वरूप प्राधिकरण आवंटन देने अथवा आवंटित भवन पर कब्जा प्रदान करने में असमर्थ होता है तो सम्पूर्ण पंजीयन राशि अथवा अन्य जमा राशि जो आवंटन की स्थिति पर निर्भर करेगी, 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित लौटा दी जायेगी।
- क्यू-5 सभी विवादों का आवंटन/पट्टे के संबंध में किसी भी विवाद के लिए न्याय का क्षेत्राधिकार सम्बद्ध जिला न्यायालय, जहां सम्पत्ति स्थित है अथवा उच्च न्यायालय द्वारा नामित न्यायालय का होगा।

- क्यू-6 आवंटी पर उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम सन 1976 (यू0पी0 एक्ट नं0-6) के प्राविधान तथा उसके तहत गठित नियम/विनियम लागू माने जायेंगे।
- क्यू-7 आवंटी आवंटित भवन के अतिरिक्त किसी क्षेत्र का प्रयोग/अधियोग की मांग नहीं करेगा। जहां कहीं खुले क्षेत्र का अधिभोग दिया गया है वहां आवंटी किसी भी प्रकार का अस्थाई तथा/अथवा स्थाई निर्माण नहीं करेगा।
- क्यू-8 प्राधिकरण को अदेय सभी धनराशि, एरिया ऑफ लैण्ड रेवेन्यू की तरह वसूल की जायेगी।

अधिक जानकारी के लिये सम्पर्क करें:  
**वरिष्ठ प्रबन्धक (सम्पत्ति विभाग)**  
दूरभाष: 0120-2326150-155

90.0 SQM



**GROUND FLOOR PLAN**


**AREA BREAK-UP**

TOTAL PLOT AREA=90.00 SQM  
PEMI. GR. COVERAGE=67.50 SQM  
PROP. GR. COVERAGE=61.84 SQM  
PROP. MUMTY COVERAGE=12.42 SQMT.






200 SQM



**AREA BREAK-UP**

TOTAL PLOT AREA 10m x 20m=200.00 SQM  
PEMI. GR. COVERAGE=150.00 SQM  
PROP. GR. COVERAGE=146.30 SQM  
PROP. MUMTY COVERAGE=11.50 SQMT.

250 SQM




**GROUND FLOOR PLAN**

**AREA BREAK-UP**

TOTAL PLOT AREA=12.5 X 12.0=250.0 SQM  
PEMI. GR. COVERAGE=187.50 SQM  
PROP. COV. AREA PF GR. FLOOR=153.03 SQM  
PROP. MUMTY COVERAGE=17.82 SQMT.

EXISTING AVIS AND  
LAND-USES FOR 2011

RESIDENTIAL	PHASE-2011	
COMMERCIAL	25M ZONE	
INDUSTRIAL	25M ZONE	
INSTITUTIONAL	50M ZONE	
UTILITIES	50M ZONE	
GREEN AREA	RAILWAY LINE	
GREEN AREAS	RAILWAY LINE	
RECREATIONAL GREEN	RAILWAY LINE	
INSTITUTIONAL GREENS	RAILWAY LINE	
NURSERY & HORTICULTURE	RAILWAY LINE	
RESERVED FOREST	RAILWAY LINE	
AGRICULTURAL	RAILWAY LINE	
UPSIDC	RAILWAY LINE	
	WHOLESALE MANDI	
	INSTITUTIONAL RESERVE	
	VILLAGE ABADI	
	SEZ	
	USE UNDEFINED	
	PHASE-2001	
	PHASE-2011	



DRAFT MASTER PLAN (FINAL APPROVED, LATEST) DWG.



**DRAFT MASTER PLAN  
GREATER NOIDA - 2021**

NO.	26.03.06				
DATE	25.03.02				
DATE	23.07.02	REKHA DEVIWAN DM (PLN) & ARCH	LEENU SEGHAL DDM (PLN)	ASPI EE (P)	
DATE	24.08.02	AJIT SHRIVASTAVA S.E.D.	SUDHIR SARD A.S.E.D.		
DATE	17.07.01	REKHA DEVIWAN DM (PLN) & ARCH	LEENU SEGHAL DDM (PLN)	NIMISHA DM (PLN) & ARCH	
DATE		BRIJESH KUMAR S.E.D.	RAJESH CHAUHAN D.E.E.D.		

NOTE: THE DRAFT MASTER PLAN PRESENTED BY THE 40TH BOARD MEETING HELD ON 17.7.2001



SCALE

